न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः 21/12/22

अपील संख्या 28/13
(जीसीएमएस संख्या 2013/00215)

1. श्रीमती आसी देवी पत्नी स्वः श्री शिवलाल जाति जाट निवासी गांव मनेरा(MFFR विस्थापित) तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल निवासी गांव नापासरिया तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक शून्य वर्ष 2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री लेखराम धतरवाल, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक शून्रू वर्ष 2000 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति स्वः शिवलाल पुत्र चेतनराम जाट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 20—03—1985 को चक 12 बी.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 94/35 में कुल 24 बीघा 9 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट के पति द्वारा आराजी जैर का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा इसी आधार पर अपीलांट् के पति नाम से उक्त भूमि का खाता खोला गया।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पति को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में नोट लगाकर खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उक्त आदेश भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का आवंटन बिना सूचना के खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट् की पात्रता की जॉच करते हुए वाद़ग्रस्त भूमि अपीलांट् के नाम से पुनः बहाल की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक शुन्य वर्ष 2000 के विरूद्व अपील दिनांक 24—01—13 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के पति को आवंटित की गई थी। अपीलांट के पति का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज हो चुका है तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में आराजी जैर के आवंटन को बहाल करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक शून्य वर्ष 2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24–01–2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट के पति द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 20–03–1985 को चक 12 बी.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 94/35 में कुल 24 बीघा 9 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका का अवलोकन किया गया। जिसमें वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पति स्वः शिवलाल पुत्र चेतनराम जाट को तहसील पूगल जिला बीकानेर को आवंटित किये जाने व विधिवत पट्टा जारी व कब्जा दिये जाने का उल्लेख अंकित है। तदुपरान्त कब्जा प्राप्त नहीं किये जाने के कारण को अंकित करते हुए रकबा निरस्त किया गया है। अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् के पति को आवंटनशुदा भूमि खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सूना जाना आवश्यक है।

(4) अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074–77 के अनुसार वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज चली आ रही है।

(5) चूंकि वर्तमान में आराजी जैर अन्य किसी को आवंटनशुदा न होकर रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि अपीलांट के पति को आवंटित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के पति का आवंटन कब्जे के अभाव में अपीलांट् के पति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक शून्य वर्ष 2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटी स्वः शिवलाल पुत्र चेतनराम जाट के वारिसान की जॉच करते हुए, सही पाये जाने पर व वादग्रस्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की दशा में व राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु जारी दिशा निर्देशो के अनुसरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21/12/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर